फर्द अहकाम

गंगा देवी बनाम हनुमान

नाम न्यायालय

केस संख्या :- 283/10/07

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	6/12/19	वकुलाय फरीकेन उप०। तलबी हेतु सम्मन तलवाना पेश करे। पत्रावली ~~[illegible]~~ का अवलोकन किया गया। प्रकरण में सहवन से प्र०पत्र 022R4 CPC लगाया गया था जबकि प्रकरण मूलवाद में ही प्रस्तुत था। जो वाद में स्वीकार किया जा चुका है। जिसे वकील वादी ने Not press किया गया। पत्रावली में ~~[illegible]~~ बहस TI ~~[illegible]~~ पर बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते अवलोकन आदेश दिनांक 20/12/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
	20.12.19	व०फ० उप०। T.I. प्रा०पत्र पर उभयपक्षों की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। वादी द्वारा वाद घोषणा, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया है। वाद के फैसले तक उभयपक्षों को मौका रिकार्ड स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा वाद के निर्णय तक न्यायहित में पाबन्द किया जाना उचित है। अतः इस न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 03.05.2007 को वाद के निर्णय तक कन्फर्म की जाती है। पत्रावली फैसल हो। दर्ज नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे। एवं आदेश पूर्वक से लिखा जाकर पत्रावली के साथ संलग्न रहे। (हस्ताक्षर)

सहायक (फास्ट ट्रैक) चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

मुकदमा सं0 283/110/07
उनवान– गंगा देवी बनाम हनुमान
निर्णय दिनांक– 20.12.2019

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) चौमूँ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती देवयानी (R.A.S.)
मुकदमा संख्या :– 283/110/07

उनवान

मु0 गंगा देवी पुत्री गोविन्दा उर्फ गोविन्दराम जाति कुम्हार, निवासी कस्बा चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर(राज0)

–प्रार्थीया/वादीया–

बनाम

1. हनुमान पुत्र गोविन्दा उर्फ गोविन्दराम
2. कानाराम पुत्र गोविन्दा उर्फ गोविन्दराम (मृतक दौराने दावा)
   2/1. अनोखी उर्फ सुनिता पिता स्व0 कानाराम
   2/2. नवरती उर्फ कविता पिता स्व0 कानाराम
   2/3. महिपाल पिता स्व0 कानाराम
   2/4. रुपा पिता स्व0 कानाराम
   2/5. धनपाल पिता स्व0 कानाराम
   2/6. सुनिता पिता स्व0 कानाराम
   2/7. किरण पिता स्व0 कानाराम
3. बद्री पुत्र गोविन्दा उर्फ गोविन्दराम
   समस्त जाति कुम्हार, निवासी कस्बा चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. मु0 ज्याना पत्नि हुक्माराम
5. मदनलाल पुत्र हुक्माराम
6. मोहनलाल पुत्र हुक्माराम
7. रामलाल पुत्र हुक्माराम
   जाति अहिर निवासी ग्राम जाहोता, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
9. उपपंजीयक, उपपंजीयक कार्यालय चौमूं, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

–अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण–

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

आदेश

दिनांक :–20.12.2019

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में निम्न प्रकार है कि प्रार्थीया–वादीया व अप्रार्थी–प्रतिवादीगण की पैतृक कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमियां कस्बा चौमूं, तह0 चौमूं, जिला जयपुर में स्थित हैं जो निम्न सारणी संख्या 1,2 व 3 में वर्णित हैं। सारणी संख्या 1 की भूमियों में प्रार्थीया–वादीया व अप्रार्थी–प्रतिवादीगण संख्य 1 ता 3 के पिता स्व0 गोविन्दा उर्फ गोविन्दराम का हिस्सा 1/6 था तथा सारणी संख्या 2 व 3 में अंकित भूमियों में प्रार्थीया–वादीया व अप्रार्थी–प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के पिता स्व0 गोविन्दा उर्फ गोविन्दराम का अकेले की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमियां थी और इसी प्रकार स्व0 पिता गोविन्दराम अपने जीवन पर्यन्त काबिज रहकर काश्त करता रहा तथा लगान भूमियों का सरकार को भुगतान करता रहा, प्रार्थीया–वादीया व अप्रार्थी–प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के पिता स्व0 गोविन्दा उर्फ

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

गोविन्दराम के स्वर्गवास के बाद अब प्रार्थीया-वादीया व अप्रार्थी-प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 उसके हक की भूमियों पर काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं। इस प्रार्थना पत्र में निम्न वर्णित सारणी संख्या 1 व 2 एवं 3 की भूमियां ही विवादग्रस्त हैं।

सारणी संख्या 1

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा
310	4279	0.06 हैक्टेयर
	4280	0.39 हैक्टेयर
	4281	0.52 हैक्टेयर
	4286	0.26 हैक्टेयर
	4287	0.19 हैक्टेयर
	4288	0.36 हैक्टेयर
	4290	0.37 हैक्टेयर
	4292	0.36 हैक्टेयर
	4293	0.46 हैक्टेयर
	4294	0.11 हैक्टेयर
	4297	0.06 हैक्टेयर
	4300	0.23 हैक्टेयर
	4301	0.42 हैक्टेयर
	4295/7792	0.07 हैक्टेयर
	4298/7793	0.09 हैक्टेयर
कुल किता	15 का कुल रकबा	3.95 हैक्टेयर

सारणी संख्या 2

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा
227	4285	0.81 हैक्टेयर
	4295	0.19 हैक्टेयर
	4298	0.03 हैक्टेयर
	4299	0.18 हैक्टेयर
कुल किता	4 का कुल रकबा	1.21 हैक्टेयर

सारणी संख्या 3

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा
1246	2158	0.46 हैक्टेयर
	2175	0.14 हैक्टेयर
	2176	0.16 हैक्टेयर
	2177	0.17 हैक्टेयर
	2178	0.04 हैक्टेयर
	2179	0.04 हैक्टेयर
	2180	0.03 हैक्टेयर
कुल किता	7 का कुल रकबा	1.04 हैक्टेयर

Scanned by CamScanner

उक्त विवादग्रस्त सारणी संख्या 1 व 3 की भूमियों में प्रार्थीया–वादीया व अप्रार्थी–प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के पिता की मृत्यु के पश्चात् अप्रार्थी–प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने साजिश पूर्ण खातेदारी राजस्व कर्मचारियों से मिलकर साजिश पूर्ण प्रार्थीया–वादीया का नाम जुड़वाये बिना स्वयं के नाम खुलवाली, और प्रार्थीया–वादीया को उसके पैतृक हक व अधिकारों से महरुम कर दिया तथा सारणी संख्या 2, में भी अब अप्रार्थी–प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 7 से साजिश कर अपने स्वयं के नाम करवाने पर आमदा हैं तथा विवादग्रस्त भूमियों को अन्यों को हस्तान्तरण बेचान करने पर आमादा है तथा इस प्रकार प्रार्थीया–वादीया को उसके पैतृक अधिकार व हक से महरुम करना चाहते हैं, जबकि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार प्रार्थीया–वादीया अपने भाईयों अप्रार्थी–प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के साथ पिता की सम्पत्ति में बराबर–बराबर कानूनी हकदार हैं।

विवादग्रस्त भूमियां जो सारणी नम्बर 1 व 2 में दर्शित की गई हैं में प्रार्थीया–वादीया का हिस्सा कानूनन अंकित किया जाना आवश्यक हैं। सारण संख्या 1 प्रार्थीया–वादीया के पिता का परम्परागत हिस्सा 1/6 था और 1/6 हिस्सा पर ही काबिज काश्तकर रहा था, लेकिन जमाबन्दी में जो अंकन है वह गलत है जिसे दुरुस्थ किया जाना आवश्यक हैं तथा प्रार्थीया–वादीया का हक भी दर्ज करना आवश्यक है। इसी प्रकार सारणी संख्या 2 व 3 में भी, प्रार्थीया–वादीया का हिस्सा 1/4 हैं जो भी दुरुस्थ किया जाना कानूनन आवश्यक हैं तथा सारणी संख्या 1 में प्रार्थीया–वादीया का काननी हिस्सा 1/24 बनता हैं, जबकि प्रार्थीया–वादीया का नाम ही अंकित नहीं किया गया तथा अप्राथी–प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने गलत व बिना अधिकार के स्वयं के नाम खातेदारी अंकित करवाली जो प्रारम्भ से ही प्रार्थीया–वादीया को अपने नाम हक अनुसार विवादग्रस्त भूमियों में हक की घोषणा करवाने का कानूनी अधिकार हैं।

प्रार्थीया–वादीया एक अशिक्षित व ग्राम्य परिवेश की महिला हैं, जिसे अप्रार्थी–प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 द्वारा की गई साजिशी कार्यवाही का कोई ज्ञान नहीं था, क्योंकि अप्रार्थी–प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 प्रार्थीया वादीया के सगे भाई थे, जिस कारण उन पर अविश्वास नहीं था, लेकिन हाल ही में जब प्रार्थीया–वादीया को पडोसियों ने बताया कि अप्रार्थी–वादीया को पडौसियों ने बताया कि अप्रार्थी–प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 विवादग्रस्त भूमियों को बेचने पर आमादा हो रहे है तथा अप्रार्थी–प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 7 के साथ साजिश रचकर चुपचाप सौदेबाजी कर रहे हैं तो प्रार्थीया–वादीया ने दिनांक 08.04.2007 को पटवारी हल्का से जानकारी करवाई जो ज्ञान हुआ कि सारणी संख्या 1 व 3 की भूमियों में तो अप्रार्थी–प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने केवल स्वयं के नाम खातेदारी खुलवा ली हैं और सारणी संख्या 2 में भी स्वयं के हित में खातेदारी खुलवाकर भूमियों को खुर्द–बुर्द करने पर उतारु हो रहे हैं।

प्रार्थीया–वादीया ने अप्रार्थी–प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 से इस सम्बन्ध में बातचीत की तो उन्होने दिनांक 29.04.2007 को ऐलानियां धमकी दी कि वे विवादग्रस्त भूमियों को उनके नाम होने के कारण व नाम करवाकर तुरन्त ही ऐसे लोगो के नाम बेचान, हस्तान्तरण कर रहे है जो प्रार्थीया–वादीया को मारपीट कर बेदखल कर देंगे तथा उसे किसी प्रकार का हक नहीं दिया जावेगा, इस प्रकार अप्रार्थी–प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 द्वारा धमकी दिये जाने के कारण

सहायक

Scanned by CamScanner

प्रार्थीया–वादीया को उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हो गया, अन्यथा प्रार्थीया वादीया को स्वयं के कानूनी हक से ही वंचित होना पड सकता हैं।

प्रार्थीया–वादीया ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश निवेदन किया है कि अप्रार्थी–प्रतिवादीगण को दौराने दावा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया जावें कि जब तक वाद का अन्तिम रुप से निस्तारण न हो जाये अप्रार्थी–प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 17 विवादग्रस्त भूमियों का बेचान, हस्तान्तरण नहीं करें, तथा मौके व राजस्व अभिलेख की वर्तमान स्थिति यथावत बनाये रखे और ना ही प्रार्थीया–वादीया के कब्जे काश्त में स्वयं अथवा अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमैन के जरिये दखलन्दाजी करें, अथवा करवाये तथा ना ही प्रार्थीया–वादीया को बेदखल करें, और अप्रार्थी–प्रतिवादी संख्या 8 राजस्व अभिलेख की वर्तमान स्थिति यथवत बनाये रखे एवं अप्रार्थी–प्रतिवादी संख्या 9 किसी प्रकार का हस्तान्तरण सम्बन्धित दस्तावेजात यदि भूमि विवादग्रस्त का अप्रार्थी–प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किया जावें तो न तो उसे ग्रहण करें और ना ही उसे पंजिकृत करें। उपरोक्त समस्त कृत्य ना तो अप्रार्थी–प्रतिवादीगण स्वयं करे, ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमेन आदि के जरिये करवायें।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन नोटिस के तलब किया गया। उभयपक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। वकील वादी ने बहस में अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का दौहरान किया। प्रकरण में मूल वाद तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा का है। वाद बाहुल्यता को रोके जाने हेतु उभयपक्षों को पाबन्द किया जाना न्यायालय अभिमत में उचित प्रतित होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर उभयपक्षों को दौराने वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द फरमाया जाता है कि वादग्रस्त भूमि बाबत् ता फैसला मूलवाद मौके व रिकार्ड कि यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाता है। उभयपक्ष ना ही विवादित आराजियात पर गैर कृषि कार्य करें, ना ही विवादित आराजियात को छोटे छोटे भूखण्डों में विभक्त करें, ना ही विवादित आराजियात का विक्रय हस्तानान्तरण ही करें, ना ही विवादित आराजियात का भू उपयोग परिवर्तन करावें तथा अप्राथीगण/प्रतिवादिगण सं0 8 विवादित आराजियात के राजस्व रिकॉर्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन परिवर्धन नहीं करें एवं अप्राथीगण/प्रतिवादिगण सं0 9 विवादित आराजियात के संदर्भ में किसी भी प्रकार के हस्तानान्तरण पत्र, रहन पत्र इत्यादि के अपने सम्मुख प्रस्तुत होने पर उसे तस्दीक नहीं करें पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा मूलवाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर,
(फा0ट्रे0) चौमूं

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Devyani
Date: 2020.02.05 14:27:40 IST
Reason: SelfAttested
Location: